न्यायालय अपर जिला जज, प्रथम, जौनपुर।
उपस्थित–अनिल कुमार यादव, प्रथम (एच०जे०एस०)
सिविल निगरानी सं०–89/2023
सी०एन०आर०सं०– UPJP010051982023

1–अखिलेश पाण्डेय पुत्र स्व० शोभनाथ पाण्डेय निवासी दशरथपुर, परगना मड़ियाहूँ, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1–चन्द्रावती देवी पत्नी स्व० देवतादीन
2–अरविन्द कुमार
3–नरेन्द्र कुमार
4–महेन्द्र कुमार
5–प्रदीप कुमार
6–अरुण कुमार
7–प्रमोद कुमार
पुत्रगण स्व० ठाकुरदीन
8– शकुन्तला देवी
9–संगीता देवी
पुत्रीगण स्व० ठाकुरदीन
निवासीगण दशरथपुर, परगना मड़ियाहूँ, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर।

.....विपक्षी असली

10–विरेन्द्र कुमार
11–आनन्द कुमार
12–राकेश कुमार
पुत्रगण स्व० सभाजीत
13–आरती देवी
14– गुड्डी उर्फ अर्चना
पुत्रीगण स्व० सभाजीत

.....प्रस्तावित विपक्षी

15–आशुतोष पाण्डेय
16–अवधेश पाण्डेय
पुत्रगण स्व० शोभनाथ
17–चन्द्रालेखा पुत्री स्व शोभनाथ
18–कुसुम पाण्डेय पत्नी स्व० गामा प्रसाद
19–छवि पाण्डेय पत्नी स्व० कपिलदेव पाण्डेय
20–अभिराज पाण्डेय
21–अवीर पाण्डेय
पुत्रगण स्व० कपिलदेव पाण्डेय, संरक्षिका जरिया प्राकृतिक माता औपचारिक प्रतिवादी सं०–7/2/1 छवि पाण्डेय।
22–भावना पाण्डेय
23–कंचन पाण्डेय
पुत्रीगण स्व० गामा प्रसाद
24–निशा पत्नी स्व० अविनाश पाण्डेय
25–आकांक्षा
26–आस्था

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.31 16:10:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur.

पुत्रीगण स्व० अविनाश पाण्डेय
27–शुभम
28–अपेक्षा
पुत्रगण स्व० अविनाश पाण्डेय
निवासीगण दशरथपुर, परगना मड़ियाहूँ, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

<u>निर्णय</u>

प्रश्नगत सिविल निगरानी अवर न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) प्रथम, कोर्ट नम्बर–22, जौनपुर द्वारा वाद संख्या–201/1987 शोभनाथ बनाम देवतादीन आदि में पारित आदेश दिनांकित 31.05.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में उपलब्ध सबूत व साक्ष्य को नहीं देखा तथा सरसरी तौर पर आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काल्पनिक है, जो विधिक विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने व्यक्तिगत सोच के आधार पर आदेश में यह वर्णित किया है कि प्रार्थनापत्र के आदेश के आड़ में वादी नव निर्माण करना चाहता है, जो गलत है। वादी का कच्चा मकान खपरैल का है तथा स्थगन आदेश के समय ठीक हालत में था, लेकिन बारिश और तूफान के कारण छत चूने व टपकने लगा तथा हवा में सेड आदि उड़ गया है, जिससे वादी को सपरिवार रहने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसके मरम्मत के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार न करके अपने व्यक्तिगत अवधारण करके आदेश पारित किया है, जो न्याय विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तथा काल्पनिक तर्क के आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया जो विधि विरुद्ध है। वादी जिस ओसारा का मरम्मत करना चाहता है, उसका प्रतिवादीगण अपना नहीं कहते, इसलिये उसके मरम्मत कराने के लिये बावत आदेश पारित करना न्यायोचित है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया। अधीनस्थ न्यायलाय ने स्थगन आदेश दिनाँक 05.07.2013, जिसमें पक्षों को यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित हुआ है, यानी दिनाँक 05.07.2013 को स्थिति बराबर बरकरार रहना चाहिए, लेकिन दैवीय आपदा के कारण ओसारा क्षतिग्रस्त हुआ। यानी उसकी स्थिति दैवीय आपदा के कारण बदल गयी है। जिसकी पुनः उसी स्थिति में मरम्मत होना आवश्यक था, जिससे वह पुनः पूर्व स्थिति में हो जाये, अन्यथा पूरा ओसारा गिर जायेगा। स्थिति और नवैयत मौके पर बदल जायेगा, इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया जो विधि विरुद्ध है। प्रार्थनापत्र 26 ग बावत मरम्मत स्वीकार होने पर बिल्कुल पूर्व पारित स्थगन आदेश के विपरीत नहीं होगा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करने पर पूर्व पारित स्थगन आदेश अनुकूल न होने की बात कहा है जो न्याय संगत नहीं है। आदेश हर सूरत से विरुद्ध कानून व तथ्य है और निरस्त होने योग्य है। अतः अवर न्यायलाय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.05.2023 को पूर्ण रूप से स्वीकार कर विधिक आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी की ओर से निगरानी के विरुद्ध आपत्ति दिनांकित 25.08.2025 प्रस्तुत कर कथन किया है कि मकान निशानी हरूफ X एवं उसके दक्षिण के ओसारा व टिनशेड का कोई विवाद मुकदमा हाजा में नहीं है और न उसके बावत वादपत्र में कोई अनुतोष ही मांगा गया है। ऐसी सूरत में जो सम्पत्ति मुकदमा में विवादित नहीं है और जिसके बावत दावा में अनुतोष नहीं मांगा गया है, उसके बावत प्रार्थना पत्र 261 ग में मांगे गये अनुतोष छाजन एवं दीवाल बनाने की अनुमति अदालत हाजा द्वारा दिये जाने का कोई प्रश्न कानूनन एवं इंसाफन नहीं है। प्रार्थना पत्र मात्र दौरान मुकदमा बढ़ाने एवं मुकदमा हाजा में पेंचीदगी पैदा करने के लिए दिया गया है। कथन प्रार्थना पत्र कि प्रार्थी अपने आबादी निशानी हरूफ A, B, C, D, A स्थित मकान मुकाम X पर स्थित है जो कच्चा दीवाल पर नरिया, छप्पर व टीनशेड से आच्छादित है। तामीर मकान पुराना होने के वजह से नरिया छाजन खराब हो गया है और बरसात में मकान में पानी टपकता है व चूता है, जिससे दीवाल क्षतिग्रस्त हो रही है और रहने सहन करने में कठिनाई हो रही है। प्राकृतिक आपदा व बरसात के कारण मकान का छाजन खराब हो गया है, उसका रिपेयर होना व मरम्मत होना न्यायहित में आवश्यक है तथा मकान के दक्षिणी ओसारा न्यायहित में आवश्यक है तथा मकान के दक्षिणी ओसारा का टीनसेड आंधी तूफान आने के कारण दिनांक 24.04.2023 को रात में अत्यधिक बरसात होने के कारण उड़ गया तथा दीवाल गिर गया, जिससे आवास में

रहने में काफी कठिनाई हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मकान के दक्षिण ओसारा का टीन पटरा से छाजन व दीवाल बनाना जरूरी है, बिल्कुल गलत, झूठ व मनगढंत है। हरगिज कोई छाजन, टिनशेड, ओसारा, पटरा व दीवाल गिरकर ध्वस्त नहीं हुआ है। वह पूर्ववत मौका पर कायम है। प्रश्नगत आदेश विद्वान अवर न्यायालय में अपने निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया है, पारित आदेश में कोई अनियमितता नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण की ओर से मूलवाद सं०–201/1987 शोभनाथ व अन्य बनाम देवतादीन आदि प्रतिवादीगण के विरुद्ध दालान निजाई निशानी अक्षर W, Y, Z, D व उसके गिर्द पेश सेहन निजाई व उसमें स्थित अशियाय के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु न्यायालय में संस्थित किया गया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2011 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 6ग को स्वीकार करते हुए विवादित जमीन के सम्बन्ध में मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। वाद के लम्बित अवस्था में वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं०–261ग प्रस्तुत कर आबादी निशानी अक्षर A, B, C, D, A में स्थित मकान 'X' की नरिया व छाजन तथा मकान के दक्षिण ओसारा की रिपेयर की अनुमति दिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त दिनाँक 31.05.2023 को निरस्त कर दिया गया। निगरानीकर्ता की ओर से मुख्य आधार लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि वादी प्रार्थनापत्र के आड़ में नवनिर्माण करना चाहता है, पूर्णतया गलत है। साथ ही वादी जिस ओसारे की मरम्मत कराना चाहता है, उसको प्रतिवादीगण अपना नहीं कहते, इसलिए उसकी मरम्मत कराने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। जहाँ तक निगरानीकर्ता की ओर से लिए गये उक्त आधार का प्रश्न है, विपक्षीगण का कथन है कि वादी की ओर से दालान निजाई निशानी अक्षर W, Y, Z, D व उसके गिर्द पेश सेहन निजाई व उसमें स्थित अशियाय के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु न्यायालय में संस्थित किया गया है। आबादी निशानी हरूफ A, B, C, D, A स्थित मकान 'X' व उसके दक्षिण स्थित ओसारा के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नहीं माँगा गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की ओर से दालान निजाई निशानी अक्षर W, Y, Z, D व उसके गिर्द पेश सेहन निजाई व उसमें स्थित अशियाय के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु न्यायालय में संस्थित किया गया है और इसी का मूल्यांकन करते हुए न्याया शुल्क अदा किया गया है। प्रस्तुत वाद में आबादी निशानी हरूफ A, B, C, D, A स्थित मकान 'X' व उसके दक्षिण स्थित ओसारा विवादित नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके लिए मरम्मत की अनुमति लिये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। न्यायालय द्वारा अविवादित संपत्ति के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 261ग को निरस्त किया गया है, पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की ओर से संस्थित निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) प्रथम, कोर्ट नम्बर–22, जौनपुर द्वारा वाद संख्या–201/1987 शोभनाथ बनाम देवतादीन आदि में पारित आदेश दिनांकित 31.05.2023 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति अवर न्यायालय सूचनार्थ प्रेषित की जाये। पत्रवाली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

<u>दिनांक–31.03.2026</u>

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

<u>दिनांक–31.03.2026</u>

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6112